रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –41 ● अंक –4 ● कानपुर 16 से 28 फरवरी 2019 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

आन्दोलन कहीं

मान्यता को रोकने का प्रयास तो नहीं

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए एक बार फिर आन्दोलन की बयार चल पड़ी है और तो और अब संसद घेरने की भी बात की जा रही है, ऐसा क्या हो गया ! जो लोग संसद घेरने की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है या फिर लोग बिल्कुल कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जो अब संसद घेरने की बात कर रहे हैं घेराव या घरने व प्रर्दशन तो तभी किये जाते हैं जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, यहां तो सरकार का रूख इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्ष में है तो घेराव किस लिये ?

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए गठित अन्तर विभागीय कमेटी ने अभी कोई रिपोर्ट भी घोषित नहीं की है ऐसी स्थिति में सरकार के विरूद्ध संसद घेरने का क्या औचित्य है ?यदि कोई अपने हित के लिए ऐसा आयोजन करता है तो उससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सों से क्या मतलब, कोई व्यक्ति या संगठन ऐसे आयोजन में सहभागिता करता है तो वह एक प्रकार से सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता या फिर उसको सरकार के प्रति विश्वास नहीं है, जबकि सरकार का इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति रूख सकारात्मक है जैसा कि उसने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया को अपने पत्र से स्पष्ट किया है कि सरकार अपने आदेश दिनांक 21 जून, 2011 के रूख पर कायम है।

आन्दोलन से जो नये परिदृश्य की संरचना की जा रही है और जब इन सारे परिदृश्यों को मिलाकर आने वाले भविष्य की कल्पना की जा सकती है तो बहुत ज्यादा आशा बलवती नहीं होती है ! समाज का नियम है कि वह परिवर्तन के साथ चलता है, परिवर्तन प्रकृति करे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब परिवर्तन की दिशा अपने हित के हिसाब से की जाये तो वह हमेशा नुकसान ही देती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी तक कार्य करने के लिए वातावरण अच्छा है शासकीय सोच भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्ष में है सरकार का सहयोग और समर्थन लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथों को मिल रहा है, फिर ऐसी कौन सी नई स्थिति पैदा हो गयी है जो हमारे साथियों को विचलित किया जा रहा है, उनका रूख काम की अपेक्षा दूसरी तरफ क्यों मोड़ा जा रहा है ?जब परिस्थितियां अच्छी हैं तो नई परिस्थितियों को क्यों जन्म दिया जा रहा है, वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबसे महत्वपूर्ण विषय है चिकित्सकों के पंजीयन का उसमें कार्य करने की आवश्यकता है और उसी में कार्य करना चाहिये, जो नहीं किया जा रहा है। "कानून सड़कों पर नहीं बनते," उसके लिए निश्चित प्राविधान होता है यदि सब कार्य भीड़ से ही होने लगें तो जाने कब भीड़ दिखाकर मान्यता मिल जाती।

इस तरह के आन्दोलनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और भ्रमित व्यक्ति कभी भी सकारात्मक निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है, परिणाम यह होता है कि हमारे अधिकांश चिकित्सक अनिर्णय में पड़े रहते हैं अधिकार होते हुए भी वे अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कदाचित ऐसी स्थिति का जन्म न हो तो ही अच्छा है और यदि परिस्थितियों वश जन्म हो ही जाता है तो उनका शीघ्र शमन होना भी अति आवश्यक है, शमन की आवश्यकता इसलिए है कि जब कोई विषय बहुत लम्बे समय तक अनिर्णित रहता है तो लोगों का विश्वास उससे उठने लगता है। डगमगाये विश्वास वाला व्यक्ति कभी भी अपेक्षित परिणाम नहीं देता क्योंकि उसकी मनःस्थिति स्थिर ही नहीं रह पाती है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी को यदि बहुत दूर तक आगे ले जाना है तो यह सभी जिम्मेदारों का दायित्व है कि कोई ऐसी कार्ययोजना तैयार करें जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक समाज में फैली भ्रांतियां दूर हो सकें समय बदल चुका है हमें अपनी कार्यशैली में समय के अनुसार परिवर्तन करना होगा, क्योंकि हम अधिकार सम्पन्न हो चुके हैं अब तो सरकार हमें मान्यता देने की सोच रही है ऐसे में सरकार के विरूद्ध आन्दोलन करना कदापि उचित नहीं, हमें इस समय ऐसा कार्य करना चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मान्यता में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो, समय की मांग है कि आन्दोलन के बजाय कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाये ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वास्तविक विकास सम्भव हो, आन्दोलन के बजाये ऐसी कार्ययोजना तैयार करें जिससे सभी का हित हो सके।

वैधानिक चेतावनी

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश एक स्वायत्त निकाय है, जो उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग – 6 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु शासनादेश प्राप्त है।

कतिपय व्यक्तियों /संस्थाओं द्वारा बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0 प्र0 के मिलते जुलते नाम से संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है, जोकि एक अपराधिक कार्य है। ऐसे व्यक्ति/संस्थान यह भी जान लें कि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0 प्र0 के नाम व मोनोग्राम (लोगो) कॉपीराइट एक्ट के अधीन पंजीकृत है।

मंज़ूर अहमद खाँ
एडवोकेट
विधि सलाहकार

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0
8–लालबाग, कमला भार्मा मार्ग, लखनऊ–226001
प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही,कानपुर–208014
email: behm.up@rediffmail.com

मान्यता का अन्तिम प्रयास ?

" सोशल मीडिया के माध्यम से यह प्रचारित किया जा रहा है कि मान्यता का यह अन्तिम प्रयास है चलो दिल्ली – संसद का करें घेराव 11 से 13 फरवरी "

आयोजकों को क्या यह मालूम है कि यही प्रयास अन्तिम होगा या इसके बाद भी कोई काल दी जायेगी, आयोजकगण यह समझते हैं कि सीधे साधे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को जो भी कह दिया जायेगा वह भलीभांति मान जायेंगे सिर्फ इतना ही नही बल्कि वह एक लम्बी चौड़ी सूची भी जारी कर रहे हैं जिसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अमुक संगठन उनके साथ है और इसके साथ ही अनेक प्रभावशाली इलेक्ट्रो होम्योपैथिक नेताओं के नाम भी प्रदर्शित कर रहे हैं जिससे लोग प्रभावित होकर उनके इस आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर लें। अन्तिम क्या है ? कैसे है ? और क्यों है ? वह किस दावे के साथ यह कह सकते हैं, उनको नहीं मालूम अगर यह अन्तिम है तो इसके पहले उन्होंने जो आन्दोलन किये थे वह क्या थे और यदि इस आन्दोलन से सफ़ल नहीं हुए तो वह क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन से अपने आप को अलग कर लेंगे ! यह सिर्फ और सिर्फ सस्ता प्रचार मात्र है जहाँ तक स्मरण है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इस आन्दोलन को चलाने के लिए आयोजकों ने अपने छोटे से कार्यकाल में अनेकों संस्थाओं की स्थापना की, उससे विलगता की, कई संस्थाओं से बाहर भी कर दिये गये इन सभी संस्थाओं में अनेकों आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी चला। कहीं कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई तो अब अन्तिम प्रयास का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया, आन्दोलनकारियों की सूची में जो नाम प्रस्तुत किये जा रहे हैं वे ऐसे हैं कि जिन्हें कोई जानता तक नहीं, जिनका कोई काम नहीं, जिनका कोई स्थान नहीं और तो और उन्हें यह समझाया गया है कि यदि आन्दोलन में हिस्सा लेंगे तो अपने आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लोकप्रिय हो जायेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी प्रचारित किया जा रहा है वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में कम स्वहित में ज्यादा है, जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, इस सूची में जिन कुछ एक लोगों का नाम प्रदर्शित किया जा रहा है उन्हें इस आन्दोलन से कुछ लाभ मिलने की अपेक्षा नुकसान होने की अधिक सम्भावना है, ऐसे लोग समय रहते हुए न चेते तो उनका भारी नुकसान हो सकता है, उनका नुकसान तो होगा ही और उनसे जुड़े हर उस व्यक्ति का भी नुकसान होगा जो अपने कार्य में सुचारू रूप से लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस आन्दोलन के दूरगामी परिणामों के बारे पुर्नविचार करना चाहिये यदि वह वास्तव में इस आयोजन में सम्मिलित हैं या उनकी कोई भूमिका है, सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि सरकार द्वारा फरवरी के दूसरे सप्ताह में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने का आश्वासन दिया गया था यदि फरवरी के दूसरे सप्ताह में मान्यता देने का आश्वासन दिया गया था तो फिर 11 फरवरी से 13 फरवरी तक संसद घेरने का क्या औचित्य है ! क्योंकि दूसरा सप्ताह 15 फरवरी तक पूरा होगा तो 11 से आन्दोलन करने का क्या मतलब, आपस में दोनो बातें विरोधाभाषी हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि आयोजकों को सिर्फ आन्दोलन और आन्दोलन ही करना है परिणाम चाहे जो कुछ भी हो ! हो सकता है कि आन्दोलनकारी किसी आन्दोलन प्रणेता से प्रभावित हों इसलिए सिर्फ आन्दोलन ही आन्दोलन की बात की जा रही है।

इन आन्दोलनकारियों को सोचना चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक सीधे तो हैं लेकिन न समझ नहीं हैं जिन्हे बार –बार अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सके और अपनी नेतागिरी चमकायी जा सके, आन्दोलनकारियों को चाहिये कि कोई ऐसी ठोस नीति बनायें जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को लाभ मिल सके न कि दिखावा किया जाये, उन्हें चाहिये कि तत्कालिक तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात एवं छत्तीसगढ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के उत्पीड़न के विरूद्ध कोई रणनीति बनायें तथा पीड़ित चिकित्सकों को तत्कालिक राहत दिलाने का प्रयास करें यही सबसे बड़ा आन्दोलन होगा, आन्दोलनकारियों को यह भी समझना चाहिये कि प्रयास अन्तिम कभी नहीं होते यह तो अनवरत चलते रहने की प्रक्रिया है।

सकारात्मक हों आन्दोलन

कालेज का कैफ़ेटेरिया हो या जलपान गृह, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मंच हो या कान्फ्रेंस हाल जो खचाखच भरा हुआ हो, कोई डिबेट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की चल रही हो या फिर चौपाल इलेक्ट्रो होम्योपैथों की सजी हो वहां पर आन्दोलन की चर्चा न हो ऐसा सम्भव नहीं है।

देखा जाये तो किसी प्रकार की सफ़लता पाने के लिए आन्दोलन ही विकल्प है ऐसा आवश्यक नहीं है कुछ प्राप्त करने के लिए समुचित प्रयास किये जाने चाहिये, आवश्यक मापदण्डों की पूर्ति की जानी चाहिये, अपने पक्ष को भी दृढ़ता से प्रस्तुत किया जाना चाहिये, इन सबके पश्चात भी यदि सफ़लता न मिले तो चिन्तन करना चाहिये कि कहां पर किन प्रयासो में कमी रह गयी, उन कमियों को दूर करते हुए पुनः ऐसी रणनीति बनानी चाहिये कि जिससे ऐसे प्रयास किये जायें कि सफ़लता सुनिचित की जा सके। क्षणिक विफ़लता से यदि आन्दोलन का रास्ता अख्तियार किया जायेगा तो जीवन में किन किन चीजों के लिए आन्दोलन किया जायेगा?

ऐसा नहीं है कि आन्दोलन नहीं होना चाहिये लेकिन कब आन्दोलन होना चाहिये इस पर चिन्तन करने की आवश्यकता है, आन्दोलन होते हैं और होने भी चाहिये लेकिन जब कोई रास्ता न बचा हो, यहां तो सबकुछ आपके पक्ष में है सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं तो आन्दोलन क्यों और किसके लिए ? जब सरकार ने आपको काम करने के लिए रोका नहीं है और सरकार भी आपके मामले में सकारात्मक रूख अपनायें हुए है तो आन्दोलन सरकार के खिलाफ क्यों ?

आन्दोलन एक प्रकार की सामाजिक क्रिया है जिसका ध्येय किसी विशिष्ट सामाजिक परिवर्तन से होता है , आन्दोलन करने वाले या तो उसका विरोध करते हैं या किसी सामाजिक परिवर्तन को समाप्त कर पूर्व स्थिति में लाना चाहते हैं। यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है तो आन्दोलन क्या अपने आपको चमकाने के लिए किये जा रहे हैं ! इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आन्दोलन देश की स्वतन्त्रता के साथ ही आरम्भ हो गये थे यह आन्दोलन सरकार के विरोध में नहीं बल्कि सरकार के आवाहन पर किये गये जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविकता एवं गुणवत्ता को प्रमाणित किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप ही प्राथमिक रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित हुई थी, यह वह समय था जब देश में होम्योपैथी को भी मान्यता नहीं थी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इस आन्दोलन का यह परिणाम हुआ कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी को मान्यता प्राप्त हो गयी।

उस समय के इलेक्ट्रो होम्योपैथों ने अपने आन्दोलन से होम्योपैथी को मान्यता प्राप्त होने पर होम्योपैथी से ईर्ष्या नहीं की बल्कि ऐसा महसूस किया कि उनके आन्दोलन में इतनी शक्ति थी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को न सही परन्तु होम्योपैथी को ही मान्यता मिल गयी, बस तत्कालीन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नायकों ने यह समझ लिया कि सरकार जब आवश्यक समझेगी तब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी मान्यता अवश्य प्रदान कर देगी, इस आशय का एक पत्र भी भारत सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया और यह आश्वस्त किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अवश्य मान्यता प्रदान की जायेगी।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का यह प्रारम्भिक आन्दोलन था इसके पश्चात समय समय पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए आन्दोलन किये गये लेकिन कभी यह नहीं कहा गया कि यह अन्तिम आन्दोलन है, एक आन्दोलन ऐसा भी हुआ जिसने उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया, यह वह आन्दोलन था जिसमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में घुस कर इलेक्ट्रो होम्योपैथों की उपस्थिति दर्ज करायी और साथ में यह भी घोषणा की कि ऐसे आन्दोलन लगातार जारी रहेंगे जब तक की इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्राप्त नहीं होगी इन आन्दोलनों की विशेषता यह रही कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की बात तो की गयी किन्तु विधानसभा को घेरने की नहीं।

आन्दोलनों का स्वरूप सकारात्मक रहा, आन्दोलन सिर्फ आन्दोलन नहीं बल्कि चिकित्सा शिविरों के माध्यम से भी यह आन्दोलन चलाये गये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के गेट नम्बर 3 पर अनवरत निःशुल्क चिकित्सा शिविर, औषधियों का प्रदर्शन, प्रवचन आदि के आयोजन किये गये, समय समय पर सरकार के मंत्रियों एवं अन्य विशिष्ट प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी मांगें रखी गयीं तथा ज्ञापन आदि भी दिये जाते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी उत्तरोत्तर विकास की गति पकड़ती गयी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज के जैसे राजनैतिक आन्दोलन नहीं बल्कि रचानात्मक आन्दोलन चलाये गये जिसका परिणाम यह हुआ कि अनेकों अवरोधों के फलस्वरूप इलेक्ट्रो होम्योपैथी लगातार स्थापित होती गयी सरकार द्वारा समय समय पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए अनेकों आदेश देकर रास्ता भी प्रशस्त किया गया जिसका परिणाम है कि भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के पक्ष में 21 जून, 2011 को आदेश जारी किया गया, जिसके प्रभाव से देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति सुगम हो सकी।

आज देश के अनेकों राज्यों में राज्य स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वैधानिक स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है और तो और अनेक राज्य एक दूसरे राज्य की स्थिति जानने के लिए पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत शीघ्र ही कई राज्यों में एक साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शासकीय संरक्षण प्राप्त हो जायेगा और अनावश्यक राजनैतिक आन्दोलनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आवश्कता होगी भी तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आन्दोलन की। ज्ञातव्य हो कि आन्दोलन एक सामुहिक संघर्ष है किन्तु संघर्ष और आन्दोलन एक ही चीज नहीं है संघर्ष रोजमर्रा की जिन्दगी का अभिन्न हिस्सा है, वर्गों में बँटे और शोषण पर टिके समाज में व्यक्ति हर दिन अनगिनत रूपों से संघर्ष करते हैं यह व्यक्ति के सामुहिक या वर्ग संघर्ष का हिस्सा भी होता है परन्तु इन सबको आन्दोलन नहीं कहा जा सकता है आन्दोलन चाहे वह संगठित हो या स्वतः, स्फूर्ति व सघंर्ष विकास की एक अवस्था है जहां संघर्ष का स्वरूप आम हो जाता है, यह संघर्ष व्यक्तिगत नहीं रह जाता है सामुहिक हो जाता है।

आन्दोलन तो हर स्थिति में चलने ही चाहिये किन्तु आन्दोलन का स्वरुप सदैव सकारात्मक होना चाहिये।

अधिकार नहीं अब कर्तव्य की बात करें

डा0 अतीक अहमद–रजिस्ट्रार B.E.H.M.U.P.

सामान्तयः कर्तव्य शब्द का अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है, कर्तव्य से बोध होता है कि व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा या केवल बाहरी दबाव के कारण नहीं करता है अपितु आन्तरिक नैतिक प्रेरणा के ही कारण करता है, कर्तव्य मानव के किसी कार्य को करने या न करने के उत्तरदायित्व के लिए दूसरा शब्द है, कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं ***नैतिक*** तथा ***वैधानिक*** नैतिक कर्तव्य वह है जिनका सम्बन्ध मानवता की नैतिक भावना, अन्तःकरण की प्रेरणा या उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है। नैतिक कर्तव्य ही महत्वपूर्ण है कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपने कर्तव्य को भूलकर केवल अधिकार की बात कर रहे हैं किसी भी विधा में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु चिकित्सक को उस विधा में पारंगत व पंजीकृत हाना आवश्यक हैं, विधा मान्यता प्राप्त या अधिकार प्राप्त हो। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए 27 मार्च, 1953 को जारी अर्धशासकीय पत्र से स्पष्ट है कि यह अधिकार प्राप्त है, पत्र के अनुसार आप प्रैक्टिस करें और जनता में लोकप्रियता प्राप्त करें, तो सरकार मान्यता देने पर विचार करेंगी। इसी प्रकार अधिकारों का सिलसिला चलते चलते 4 जनवरी, 2012 के शासनादेश के साथ पटाक्षेप प्राप्त कर चुका है परन्तु अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्यों का पालन भी करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनाधिकृत, अप्रशिक्षित व अपंजीकृत चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 2000 के अनुपालन में योजित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमाननावाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव, उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28–1–2004 के निर्देशानुसार सभी चिकित्सकों का पंजीयन जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय तथा डिग्री/प्रमाणपत्र प्रदान करने वाली संस्थाओं का पंजीयन प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के यहाँ होना चाहिये।

उपांकित आदेश की गलत व्याख्या होने के कारण सन् 2004 से 2010 तक नई–नई व्यवस्थायें निर्मित की गयीं, जिससे कोई लाभ तो नहीं मिला परन्तु चिकित्सकों में हताशा व समाज में छवि अवश्य धूमिल हुई, जिसके कारण चिकित्सकों में निराशा व भय का वातावरण अवश्य पैदा हो गया, अधिकांश चिकित्सकों ने प्रैक्टिस बन्द कर दी, जो प्रैक्टिस कर भी रहे थे वे डरे सहमें थे। दिनांक 05–05–2010 को भारत सरकार का आदेश आया जो एक स्पष्टीकरण मात्र था जिसमें लिखा है कि दिनांक 25–11–2003 के आदेश में अनुसंधान एवं विकास पर रोक नहीं है, भारत सरकार के आदेश दिनांक 25–11–2003 के प्राविधानों के अनुसार जो किया जाता हो यह कौन सुनेगा ! कौन देखेगा ! और कौन लागू करेगा ?यह 05–05–2010 का आदेश सक्षम अधिकाकारियों को सम्बोधित एवं प्रेषित नहीं किया गया है जैसा कि 25–11–2003 के आदेश में है। इहमाई के प्रबल प्रयासों के बाद 21 जून, 2011 को भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों एवे केन्द्र शासित प्रदेशों को अति स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं, तमाम बिन्दुओं पर दृष्टि डालने के बाद बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने यह निर्णय लिया कि प्रदेश में अधिकार पूर्वक चिकित्सा करने हेतु अवमाननावाद संख्या 820/2002 में पारित आदेशों के अनुसार हर चिकित्सक के पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अवश्य प्रेषित कराया जाये, प्रैक्टिस पर न कभी रोक थी और न है और न ही होगी। क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार है। परन्तु अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्य भी होते हैं जिनको जानना मात्र ही आवश्यक नहीं है परन्तु इनका पालन भी करना होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 हेतु इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा में चिकित्सा, शिक्षा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान विकास कार्य एवं प्रैक्टिस करने हेतु दिनांक 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर यह अधिकार दे दिया जो उसका हक था, इस अधिकार के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा क्रमशः दिनांक 2 सितम्बर, 2013 एवं 14 मार्च, 2016 को समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 एवं समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 को आदेश जारी किये गये।

जब प्रदेश सरकार ने अधिकार दे दिये हैं तो अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सरकारी संरक्षण भी अवश्य प्राप्त होगा सरकार का रूख हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमे कार्य करने में कोई बाधा नहीं है अब समय आ गया है कि हमें अपने दायित्वों को समझकर इलेक्ट्रो होंम्योपैथी के सन्तुलित और समन्वित विकास के लिए लग जाना चाहिये, देश व प्रदेश की सरकार आपको सरकारी संरक्षण की ओर ले जा रही है, अब आपको यहां पर अपना कौशल दिखाना है अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं परन्तु अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते।

समय के साथ मौलिक अधिकारों को लेकर सामाजिक चेतना बढ़ी है, पर मौलिक अधिकारों की तो लोग बात करते हैं परन्तु कर्तव्यों की तो जैसे किसी को सुध ही नही। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का मौलिक कर्तव्य है कि वह कोर्स पूरा करके अपने परिषद से रजिस्ट्रेशन कराकर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस केवल अपनी विधा से ही करें किसी अन्य विधा से नहीं परन्तु हर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक क्या यह अपना मौलिक कर्तव्य निभा रहा है ?

इलेक्ट्रो होम्योपैथ अपने मौलिक अधिकारों की बात तो बड़े ज़ोर–शोर से करते हैं पर जब कर्तव्य की बात आती है तो वह पीछे हट जाते हैं या फिर टालमटोल करने लगते हैं ऐसा कब तक चलेगा ! क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।

अनर्गल प्रलाप बन्द होने चाहिये

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा 28 फरवरी, 2017 को नोटिफिकेशन क्या जारी किया गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नेताओं ने अपने अपने तीर तरकश से छोड़ना शुरू कर दिये, यह सिलसिला सिर्फ जून तक ही चल पाया था कि कुछ घड़ाम हो गये, कुछ दिन के बाद सबकुछ सामान्य हो गया और एक सैकड़ा लोग मैदान में फिर डट गये।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूरे विश्व को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान कर रही है भारत वर्ष में भी यह काम अनवरत रूप से हो रहा है परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए कोई इकाई न होने के कारण इस पद्धति को वह सम्मान व अधिकार नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिये, इन्हीं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए देश के अनेक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संगठन वर्षों से संघर्षरत हैं और वे अपने अपने स्तर से संघर्ष कर रहे हैं परन्तु उन्हीं संगठनों में से कुछ संगठन अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं वह प्रलाप करते समय यह भूल जाते हैं कि वर्तमान सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने के विषय में गम्भीर है और भारत सरकार द्वारा एक अन्तरविभागीय कमेटी का गठन भी किया गया है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास और कार्यों की समीक्षा कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सकारात्मक आदेश जारी करेगी।

ऐसे अनुकूल समय में अनर्गल प्रलाप की आवश्यकता क्या है! यह तो वही बता सकते हैं कि उससे उनको क्या लाभ मिलने वाला है ! परन्तु जहां तक मै समझता हूँ कि अनर्गल प्रलाप से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो सकती है, कभी कभी ऐसा होता है कि बने हुए काम भी अनर्गल प्रलाप के कारण से रूक जाते हैं क्योंकि कार्य करने वाला व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि मैं तो इनके लिए सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रहा हूँ वहीं यह हमारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं ऐसी स्थिति में कार्य करने वाले व्यक्ति के विचारों में बदलाव आना स्वभाविक है, अनर्गल प्रलाप करने वाले अपनी गतिविधियों से अपनी योग्यता एवं क्षमता के भी प्रर्दशन की झलक दे रहे हैं एक दूसरे पर दोषारोपण कर समाज में एक विशेष प्रकार का प्रदूषण भी उत्सर्जन कर रहे हैं। अपनी अवस्था का ध्यान न रखते हुए कनिष्ठ तो कनिष्ठ वरिष्ठों के विरूद्धभी विष वमन कर रहे हैं जब अवसर मिलता है तो संस्थाओं के साथ साथ सरकार के विरूद्ध भी अनर्गल प्रलाप करने से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोगों को साथियों के साथ साथ सरकार का भी ध्यान रखना चाहिये, उन्हें स्मरण होना चाहिये कि भारत सरकार ने जो कार्य 2003, 2010 एवं 2011 में किया था उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2012 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा की अनापत्ति के साथ प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के पंजीयन हेतु शासनादेश जारी कर यह बात स्पष्ट कर दी है कि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सकारात्मक सोच अपनाये हुए है, इन सब के बावजूद अनर्गल प्रलाप करने वाले यह भूल जाते हैं कि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जब कोई निश्चित नीति निर्धारित करेगी तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्यकलापों के साथ इसके पाठ्यक्रमो के संचालन के लिए दिशा निर्देश भी निश्चित करेगी।

कुछ लोगों में भ्रम है और इसी भ्रम के चलते कुछ स्थानों पर भय का वातावरण निर्मित हो गया है इसलिए लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं इस अनर्गल प्रलाप के बीच हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि यर्थाथ और वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए शीघ्रताशीघ्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी को विनियमित करने के लिए उचित कार्यवाही करे। केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जारी आदेश का क्रियान्वयन व अनुपालन राज्य सरकारो द्वारा प्रभावी ढंग से किया जाये व अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की भांति इस अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति को भी वह सारी सुविधायें प्रदान की जायें जिसके वे हकदार हैं हम अपने साथियों से अपेक्षा करते हैं कि वह अनर्गल प्रलाप छोड़कर वास्तविकता में आयें और अपने आप में चिन्तन करें कि वह किस मज़बूती से खड़े हैं क्योंकि जिस मज़बूती से वह खड़े होंगे उसी मज़बूती से आगे की रणनीति तय होगी या यूँ कहिये कि उसी से आगे का कार्य सुगम होगा। इसलिए अनर्गल प्रलापों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कार्य में लग जाना चाहिये जो हमारे पास सुगम संसाधन हैं उन्हीं के साथ हमें आगे बढना है। दूसरे के प्रति प्रेम का भाव तक नहीं दिखायी पड़ता है, यह बढ़ती हुयी दूरियाँ बहुत कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रही हैं और आने वाले समय में यह दूरियाँ किसी भी अच्छे परिणाम का संकेत नहीं हैं, जो भी घटनाये इस समय घट रही हैं वह न तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये अच्छी हैं और न ही सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्था संचालकों के लिये। यह प्रतिस्पर्धा कौन सी दिशा बना रही है इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है लेकिन अनुमान यही बता रहे हैं कि इस तरह की घटनायें कदाचित ठीक नहीं हैं, हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि सरकार जो कुछ भी कदम उठायेगी वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये उठायेगी न कि किसी व्यक्ति विशेष या संगठन के लिये, यह अलग बात है कि कुछ विशेष जानकारी के लिये सरकार किसी को भी कुछ समय के लिये नामित कर दे परन्तु जो कुछ भी निर्णय सरकार द्वारा लिया जायेगा उसका प्रभाव उन सभी पर पड़ेगा जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से किसी भी स्तर से जुड़े हैं।

यदि कोई संस्था या संगठन यह दावा करे कि सरकार उसी के पक्ष में निर्णय देगी तो यह स्वंय को धोखा देना ही है क्योंकि यह अभी भी कोई नहीं जानता है कि सरकार किस प्रकार सन्तुष्ट हो गी औषधि निर्माण, औषधियों की उपादेयता कुछ ऐसे गम्भीर विषय हैं जिस पर हम सभी को एक मत होना होगा, अच्छा तो यह होगा कि जो भी किया जाये वह टू दि प्वॉइन्ट तथा प्रमाणिक हो जिससे कि हर समय अवसर बना रहे।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही,कानपुर–208014

email: behm.up@rediffmail.com

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण एवं समस्त सम्बंधित को सूचित किया जाता है कि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश द्वारा D.E.H.M. , B.E.M.S. तथा M.D.E.H. कोर्सों का संचालन नहीं किया जा रहा है, बोर्ड द्वारा संचालित F.M.E.H., M.B.E.H. , A.C.E.H. , G.E.H.S. एवं P.G.E.H. कोर्सों का विवरण बोर्ड की वेबसाइट w.w.w.behm.org.in पर देखा जा सकता है।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 के सभी पाठयक्रम क्रमशः F.M.E.H. , M.B.E.H. , A.C.E.H. , G.E.H.S. एवं P.G.E.H.माननीय उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय व भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अनुसंधान पटल) के आदेश संख्या –R.14015/25/96-U&H(R)(Pt.) दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के अनुसार संचालित हैं।

डा0 अतीक अहमद
रजिस्ट्रार